



इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग से 10 लाख लोगों को रोजगार

यूपी में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलेगी भारी सब्सिडी

30,000
करोड़ रुपये निवेश का लक्ष्य

इलेक्ट्रिक वाहनों के मैन्यूफैक्चरिंग में प्रदेश बनेगा वैश्विक केंद्र

इलेक्ट्रिक वाहन पूरी तरह शोट होते हैं। शीर नहीं करते। प्रूष्ठण भी नहीं होता। इनका एकदम शोत रहना देख गे एक नई तरह की क्रांति लेकर आ रहा है। एकदम शोत ये भवित्व विशेष इंजीनियरिंग को नहीं है बल्कि यह देश में एक नैन छाल यांत्री शुरूआत है। अज देश में इलेक्ट्रिक वाहनों ला जाना चिंता नहीं से उभे बढ़ रहा है उसकी कुछ यांत्रिक विशेषताएँ यहां की जा सकती हैं। भारत को अब तक 25 वर्षों के अमृत काल में कार्जी क्षेत्र में आविष्कार बनाना है। इसमें नैन द्वारा यांत्री अहंग शुरूआत होगी।

बरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

निआयामी प्रोत्साहन व्यवस्था

नई इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति में निआयामी प्रोत्साहन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसके तहत उपभोक्ताओं द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए, वाहनों के निर्माण के लिए, चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग सेवाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं।

नई नीति की प्रभावी अवधि के पहले तीन वर्षों के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की सभी श्रेणियों की खरीद पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स एवं पैंजीकरण शुल्क में छूट रहेगी।

यदि इलेक्ट्रिक वाहन का निर्माण राज्य में किया गया है तो सगान छूट चौथे और पांचवें दर्पण में भी जारी रहेगी।

15%

की सब्सिडी फैक्ट्री मूल्य पर दी जाएगी प्रदेश में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों पर

वाहन खरीद पर छूट व्यापार को देंगा गति



पहले दो लाख दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर पांच हजार रुपये प्रति वाहन, पहले 50,000 तीन पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रति वाहन अधिकतम 12,000 रुपये तक सब्सिडी पहले 25,000 चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रति वाहन पर एक लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।

सब्सिडी से मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ावा

राज्य में आरएडी एवं परीक्षण संगठनों सहित इलेक्ट्रिक वाहन, इंवेस्टरों और सबैधित कंपोनेंट के संदूलाइज्ड मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए तीन हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक का निवेश करने वाली पहली पांच इलेक्ट्रिक वाहन परियोजनाओं को अधिकतम 500 करोड़ रुपये प्रति प्रोजेक्ट के अंतर्गत 20 प्रतिशत की दर से सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

सरकार द्वारा यह पहल प्रदेश में नई मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना में मौल का पथर साक्षित होगी। इस नए उद्योग से प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार के लिए दुसरे प्रदेशों पर निक्षेप नहीं रहना होगा।

चार्जिंग एवं बैटरी स्वैपिंग सेवा से भी लोगों को काम

इस नीति के तहत राज्य में दो हजार चार्जिंग एवं बैटरी स्वैपिंग सुविधाओं को विकसित करने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स को प्रति प्राजेक्ट अधिकतम 10 लाख रुपये सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। वहीं, एक हजार ऐसे स्वैपिंग स्टेशनों की सुविधाओं को विकसित करने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स को पांच लाख रुपये प्रति स्वैपिंग स्टेशन तक सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान है। इस माध्यम से प्रशिक्षित लोगों के सामने रोजगार के नए आयाम सरकार स्थापित कर रही हैं।



स्टांप ड्यूटी में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी

एकीकृत ईवी परियोजना और अल्ट्रा मेगा बैटरी परियोजना स्थापित करने पर स्टांप ड्यूटी में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी।

मेगा, युहद, एमएसएमई परियोजना के लिए पूर्वांचल व बुदेलखंड में 100 प्रतिशत, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर को छोड़कर मध्यांचल व पश्चिमांचल में 75 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में स्टांप ड्यूटी पर 50 प्रतिशत छूट।

प्रति परियोजना अधिकतम दस लाख रुपये बुगांवता प्रभागन शुल्क प्रतिपूर्ति दी जाएगी।

पेटेंट पंजीकरण शुल्क घरेलू पेटेंट पंजीकरण पर 50 हजार रुपये और अंतरराष्ट्रीय पेटेंट पंजीकरण शुल्क पर दो लाख रुपये तक प्रतिपूर्ति की जाएगी।

100%
स्टांप ड्यूटी में
छूट अल्ट्रा मेगा
बैटरी परियोजना
स्थापित करने
पर

जो 25 प्रतिशत अर्थात् 3,37,180 इलेक्ट्रिक वाहन उत्तर प्रदेश में गतिशील हैं।

● भारत सरकार की एफएमई-1 व 2 योजनाओं के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सबसे बड़े लाभांशीयों में से एक रहा है।

● चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विनाश के संबंध में उत्तर प्रदेश में एफएमई-2 के अंतर्गत 207 चार्जिंग स्टेशन स्वीकृत किए गए हैं, जो राज्य के 9 नगरों-नोराडा, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, अलीगढ़, राहारनपुर, बरेली एवं झासी में आरईआईएल एवं ईडीएसएल के

माध्यम से स्थापित किए जा रहे हैं।

● राज्य में एक्सप्रेसवेज के किनारे और अधिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की समाधान है। साथ ही राज्य सरकार सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रही है।

● मुख्य नगरों के प्रमुख नागरों पर ईवी सार्वजनिक बसों को सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पीपीपी) गोड़ पर प्रावर्त्तन किया जा रहा है। जिसमें इन मार्गों पर चार्जिंग स्टेशनों का विकास भी सम्मिलित है।

यह भी जानें

- उत्तर प्रदेश भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों में सबसे अग्रणी राज्य है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जीवाशम ईंधन से संचालित वाहनों से होने वाले प्रदूषण से मुक्ति हेतु देश के समय प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की तरफ है।
- वर्ष 2021 में ईवी के विक्रय में उत्तर प्रदेश योगी सरकारी विक्रयों में विक्रय किए गए इलेक्ट्रिक वाहनों योगी संख्या 66,701 तक पहुंच गई है।
- माह जुलाई 2022 तक देश में कियाशील

प्रदेश में खरीदी गई पहली 400 बसों पर प्रति ई-बस 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही अधिकतम 1000 ई-गुड्स कैरियर्स को प्रति वाहन रुपये 1,00,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी।

साल भर में पेट्रोल वाहन जितना सस्ती होने वाली है इलेक्ट्रिक गाड़ियां

जीवाशम ईंधन (पेट्रोल, डीजल आदि) पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा भी बचेगी

सहकार परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री निति गड़करी ने कहा है कि एक साल के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत पेट्रोल गाड़ियों की लागत के बराबर होगी। सरकार पेट्रोल और डीजल के बजाए फसल अवशेषों से एथॉनॉल उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। सरकार की कोशिश रही है कि देश में एक साल के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत पेट्रोल गाड़ियों की लागत के बराबर हो जाए। इससे जीवाशम ईंधन (पेट्रोल, डीजल आदि) पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा को बचाया जा सकेगा।

प्रदेश में ऐसे वाहनों के निर्माण से इसकी लागत में कमी आएगी। सभी उपकरण प्रदेश में ही बनेंगे तो आयात पर खर्च कम होगा।

सिंगल ऑनलाइन पोर्टल सबकी राह करेगा आसान

इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर निवारित छूट का लाभ अधिक से अधिक लोगों को दिलाने और इसे सुगम बनाने के लिए योगी सरकार ने परिवहन विभाग को नोडल एजेंसी बनाया है। नई नीति का लाभ ईवी सेक्टर से जुड़े अन्य लोगों को भी मिल सके इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से एक सिंगल ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मुफ्त राजस्ट्रेनेशन और रोड टैक्स में छूट का लाभ लोगों को कैसे दिया जाए इसकी विस्तृत योजना विभाग तैयार कर रहा है।